

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 114/2022

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

21/1/2023

पत्रावली पेशद्वारा ककील ग्राणी इफ। पत्रावली वास्ते आदेश जर्बना  
धारा 136 CrP का बखत नियत है। पत्रावली में इपलब्ध दस्तावेज  
राजस्व रिपोर्ट तथा अवकाश सरकार का डबलौडन डियागमा।  
बखत पत्रकार का मनन डियागमा। बखत डबलौडन तथा  
कमन इपसालत कृष्णी द्वारा इस्तेमाल जर्बना पत्र बखत धारा  
136 CrP अनुलोष मांग्य मही जर्बने ले खारिज डिया  
जाता है। पत्रावली में किरतून निणयि मैरे द्वारा लिखाया जाका  
तृषक से शामिल निखल डियागमा। पत्रावली फौलत रुमार ही  
1 नम्बर ले डेम धेकर कायिल बखतर है।

निणयि: आज दिनांक 21/1/2023 की

धरे इजलास खुनामागमा।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)